

Read the following instructions carefully before filling up the form:-

फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें:-

1. This application form is for those candidates who have passed/qualified CET-2022 for Group-C posts and are desirous to apply for second tier Group-C exam (written/skill test). The present second tier application form is compulsory to be filled up by every candidate who has passed CET-2022 for Group-C posts and intends to participate in further selection process and thus without applying for second tier examination afresh, no candidate who is CET qualified will be allowed to participate in further selection process. Mere qualifying CET does not confer any right for selection.

यह आवेदन पत्र उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी-2022 उत्तीर्ण किया है और द्वितीय स्तरीय ग्रुप-सी परीक्षा (लिखित/कौशल परीक्षा) के लिए आवेदन करने के लिए तैयार हैं। ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी-2022 उत्तीर्ण करने वाले और आगामी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय स्तरीय आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है और इस प्रकार द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन किए बिना किसी भी उम्मीदवार को जो सीईटी उत्तीर्ण है, उसको आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो सीईटी उत्तीर्ण करेगा चयन का कोई भी अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा।

2. This application form will be treated provisional unless and until it is verified that a candidate who has applied for Group-C post and has claimed certain benefits (age, caste, category, sub-category, socio-economic criteria etc.) is eligible/entitled for the post and benefits so claimed.

इस आवेदन पत्र को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक यह सत्यापित नहीं हो जाता है कि एक उम्मीदवार जिसने ग्रुप-सी पद के लिए आवेदन किया है और कुछ लाभों (आयु, जाति, श्रेणी, उप-श्रेणी, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि आदि) का दावा किया है, वह उस पद के लिए और ऐसे किए गए दावों के लिए पत्र/हकदार है।

3. The applicant shall have to upload freshly self-attested documents with present application form in support of his/her claim(s). In absence of any document, the application will not be considered and shall be rejected straight away.

Note: The Commission does not scrutinize the documents at the time of submission of online application and thus allocation of roll number to a candidate is always provisional and mere allocation of roll number does not confirm that a candidate is eligible.

आवेदक को अपने दफ्ते/दफ्तों के सॉर्थन में वर्तमान आवेदन पत्र के साथ नए सिरे से स्व-सत्यापित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। किसी भी दस्तावेज के भ्रम में, आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन पत्र सीधे तौर पर स्वीकार किया जाएगा।

ध्यान दें: आयोग ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय दस्तावेजों की जांच नहीं करती है और इस प्रकार एक उम्मीदवार को रोल नंबर का आबंटन होशपूर्वक स्थायी होता है और केवल रोल नंबर का आबंटन यह पुष्टि नहीं करता है कि उम्मीदवार योग्य है।

4. If an applicant, while filling up the application form furnishes incorrect/false information or conceals any fact (which can affect the candidature of the candidate) then candidature of such candidate shall be rejected/cancelled. Haryana Staff Selection Commission reserves the right to withdraw any recommendation at any stage.

यदि कोई आवेदक आवेदन पत्र भरते समय गलत/झूठी जानकारी देता है या कोई तथ्य छुपाता है (जो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को प्रभावित कर सकता है) तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वीकार/रद्द कर दी जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी स्तर पर किसी भी सिफारिश को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. The candidates are advised that before final submission of their application form, a printout of the said application form be taken and all columns / particulars/documents be checked carefully as no particular will be changed after final submission of the application form and representations in this regard will be treated as rejected and hence will not be entertained by Commission.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनके आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले, उक्त आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट लिया जाए और सभी कॉलॉन्/विवरणों/दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए क्योंकि आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद कोई भी विवरण नहीं बदला जाएगा और इस बारे में कोई भी प्रतिवेदन स्वीकृत नहीं जाएगा और आयोग द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. An applicant who have been prevented/convicted/barred from appearing in any examination/experiential course by any university, agency/selection committee of any government including the Haryana Government or have been prevented/convicted/barred by any Court of law, shall not be eligible to submit his/her application form.

एक आवेदक जिसे हरियणसरकर सहित किसी भी सरकर की किसी भी विश्वविद्यालय, एजेंसी/चयन सपिति द्दरकिसी भी परीक्षकनुभवक पक्यक्रक कें शािल होने से रोकदोषी ठहरावर्जित कियगयहै यकिसी न्यालय द्दरकरोकदोषी/वर्जित कियगयहै, कपनआवेदन पत्र जककरने के पक नहीं होंगे।

7. The applicants shall have to fill up all the columns carefully. No application for correction of particulars shall be entertained later on by the Commission in this regard. Candidate himself/herself shall be solely responsible for information furnished in the application form.

आवेदकों को सभी कॉलक सद्धधजीपूर्वक भरने होंगे। कस संबंध कें बद्ध कें विवरण कें सुधार के लिए किसी भी आवेदन पर आयोग द्दरकविचर नहीं कियजएगक आवेदन पत्र कें दी गई जककरी के लिए उम्मीदवर स्वयं पूर्णतः जिम्मेदर होगहोगी।

8. Candidates who do not fulfill the qualifications/eligibility conditions on cut off date, their application shall not be considered for further selection process. Mere shortlisting a candidate for scrutiny of documents does not entitle/ held him/her eligible for post under which he/she has applied.

ऐसे उम्मीदवर जो कट-ऑफ तिथि पर योग्यतपकृतकशर्तों को पूरकनहीं करते हैं, उनके आवेदन पर आगे की चयन प्रक्रियके लिए विचर नहीं कियजएगक दस्तखेजों की जाक के लिए एक उम्मीदवर को शॉर्टलिस्ट करने कक से वह उस पद के लिए पक नहीं हो जक है जिसके तहत उसने आवेदन कियहै।

9. All the Certificates relating to educational qualification/eligibility conditions and Socio-Economic Criteria etc. will be determined with regard to last date fixed to apply online applications also called as closing date as given in the advertisement. No certificate issued after cut-off date shall be considered.

शैक्षणिक योग्यतपकृतककी शर्तों और सामकिक-आर्थिक ककदंड आदि से संबंधित सभी प्रकणपत्रों ककनिर्धारण ऑनलाकन आवेदन करने के लिए निर्धारित कंति किति के संबंध कें कियजएगक जिसे कंति किति भी कहकजकहै, जैसककि विज्ञकन कें दियगयहै। कटऑफ तिथि के बद्ध जरी किए गए किसी प्रकण पत्र पर विचर नहीं कियजएगक

10. Although efforts have been made to show the posts as per the eligibility conditions filled by the candidate but there may be chances when the posts are shown but the candidate does not fulfill the eligibility conditions. Under such circumstances the candidate should be vigilant to fill only those posts where he fulfills all the eligibility conditions mentioned in the advertisement. Even if candidate appears and obtains marks more than cut

off but does not fulfill the eligibility conditions he will not be recommended/considered.

यद्यपि उम्मीदवार द्वारा भरी गई पत्रतःशर्तों के अनुसार पदों को दर्शाते कःप्रयत्न किया गया है लेकिन ऐसे ं वसर हो सकते हैं जब पद दिखाए जाते हैं लेकिन उम्मीदवार पत्रतःशर्तों को पूरा नहीं करतः। ऐसी परिस्थितियों में उम्मीदवार को केवल उन्हीं पदों को भरने के लिए सतर्क रहनः चाहिए जहः वह विज्ञापन में उल्लिखित सभी पत्रतःशर्तों को पूरा करतः। यह तक कि ं गर उम्मीदवार उपस्थित होतः है और कट ऑफ से ं अधिक ंक प्राप्त करतः है, लेकिन पत्रतःशर्तों को पूरा नहीं करतः है तो उसकी उस पद विशेष के लिए ं नुशंसः नहीं की जाएगी।

11. No offline application form or copy of downloaded application form will be accepted by the Haryana Staff Selection Commission.

हरियाणा ंकःचरी चयन आयोग द्वारा किसी भी ऑफलाइन आवेदन पत्र यः डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति स्वीकः नहीं की जाएगी।

12. The hard copy of application form along with all uploaded documents must be brought at the time when called upon to do so by Haryana Staff Selection Commission. Documents which has/have not been uploaded, shall not be entertained at the time of scrutiny of documents.

सभी ं पलोड किए गए दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी उस सःय लानी होगी जब हरियाणा ंकःचरी चयन आयोग द्वारा ं करने के लिए कहः जाए। जो दस्तावेज ं पलोड नहीं किए गए हैं, उन दस्तावेजों पर दस्तावेजों की जाँच के सःय पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. The decision of the Commission in all matters relating to acceptance or rejection of an application, eligibility/suitability of the candidates, mode and criteria for selection etc. will be final and binding on the candidates. No inquiry or correspondence will be entertained in this regard.

किसी भी आवेदन को स्वीकः यः स्वीकः करने, उम्मीदवारों की पत्रतः उपयुक्ततः चयन के लिए ं और ंजदंड आदि से संबंधित सभी ंलों में आयोग कः निर्णय ंति और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा ंस संबंध में कोई पूःत यः पत्राचार विचारणीय नहीं होगा।

Note: In case of any ambiguity between English and Hindi version of above instructions English version will prevail over the Hindi version.

नोट: उपरोक्त निर्देशों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण संस्करण मान्य होगा।